(4)

उत्तराखण्ड सरकार

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड

मसूरी बाईपास रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून, पिन– 248005

दूरभाष : 0135-2669415, फैक्स नं०: 2669384

Email-crcagriculture@gmail.com

पत्रांकः 2960/VII-13/रा०प०/2020-21 देहरादून; दिनांकः 16 अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

सचिव, उत्तराखण्ड शासन राजस्व विभाग, अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1185/XVIII(1)/2021–03/2004 दिनांक 27 सितम्बर 2021 के द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड में संचालित कृषि गणना योजना (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित) हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या दिनाँक–14 अक्टूबर 2016 के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–1118/XVIII(1)/2020-03/2004 दिनांक 11 नवम्बर 2020 के द्वारा कृषि गणना योजनान्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष क्रमांक–1 पर अंकित निदेशक, कृषि गणना के पद पर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्/अपर कृषि संगणना आयुक्त को पदेन नामित किया गया है।

अतः आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् अपने कार्यदायित्वों के साथ–साथ निदेशक, कृषि गणना के कार्यदायित्वों का भी निर्वहन करेंगें।

भवदीय,

(चन्द्रेश कुमार)
आयुक्त एवं सचिव

संख्या एवं दिनांकः– उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपमहानिदेशक एवं कृषि गणना आयुक्त, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को माननीय अध्यक्ष, राजस्व परिषद् के संज्ञानार्थ/अवलोकनार्थ।
3. सचिव, कृषि/राजस्व उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. उप/सहायक राजस्व आयुक्त प्रशासन, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. कार्यालय प्रति।

आयुक्त एवं सचिव

संख्या– 1185/XVIII(1)/2021-03/2004

प्रेषक,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 24 सितम्बर, 2021

विषयः– **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड में संचालित कृषि गणना योजना (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित) में निदेशक, कृषि गणना के पद को आयुक्त एवं सचिव/अपर कृषि संगणना आयुक्त को पदेन नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1857, दिनांक 10.08.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें निदेशक, कृषि गणना के पद को उत्तराखण्ड जैसे छोटे राज्य में मितव्ययता एवं योजना के प्रभावी संचालन की दृष्टि से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद/अपर कृषि संगणना आयुक्त को पदेन नामित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अतः उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.10.2016 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या–1118, दिनांक 11.11.2020 में कृषि गणना योजनान्तर्गत स्वीकृत पदो के सापेक्ष क्रमांक–1 पर निदेशक, कृषि गणना के पद पर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् को पदेन नामित किया जाता है।

3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् अपने कार्यदायित्वों के साथ–साथ निदेशक, कृषि गणना के कार्यदायित्वों का भी निर्वहन करेंगे, इसके लिए उन्हे पृथक से किसी प्रकार की अनुमन्यता देय नहीं होगी।

भवदीय,

(डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव

संख्या– (1)/XVIII(1)/2021-03/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव

अध्यक्ष
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

Letter